फर्द–अहकाम

अज अदालत मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण

सिकराय, जिला–दौसा (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश – अनामिका सारण, UID - RJ00700

एम.ए.सी.टी. याचिका संख्या – 36/2023
सी.आई.एस. नं.– 36/2023, सी.एन.आर. नं. – आरजेडीएस180002542023
रौना व अन्य बनाम चांद मोहम्मद व अन्य

दिनांक: 21.11.2025 –

1. वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादीगण इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की ओर से आज दिनांक 21.11.2025 को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिनकी नकल दिलाई गई। जवाब पेश करना नहीं चाहने पर प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. प्रार्थी/प्रतिवादी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किये हैं कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तथाकथित दुर्घटना वाहन बस संख्या–आरजे–14–पीई–4557 से घटित करना बताया गया है। उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लगभग 21 दिन की देरी से दर्ज कराई गई है। यह किसी भी रूप में संभव नहीं है कि 21 दिन पश्चात दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर गलत अंकित कर दिये हो। उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात वाहन बस संख्या–आरजे–03–पीए–2286 के चालक विपक्षी संख्या–1 के विरूद्ध चार्जशीट पेश की है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि सम्पूर्ण चालान पत्रावली में कही भी ऐसे साक्ष्य व तथ्य साक्ष्य अधिकारी द्वारा अंकित नही किये गये है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराये गये वाहन के द्वारा टक्कर नहीं हुई थी। जाँच अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण चार्जशीट में अपनी जॉच में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, ना ही चार्जशीट संलग्न की है। जिससे यह साबित होता हो कि तथाकथित दुर्घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित बस नम्बर–आरजे–14–पीई–4557 से नहीं हुई हो। जॉच अधिकारी को साक्ष्य में बुलाये जाकर यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किन–किन तथ्यों व आधारो के आधार पर याचिका में वर्णित विपक्षी वाहन संख्या–आरजे–03–पीए–2286 के चालक के विरूद्ध चार्जशीट पेश की गई है। अपने उक्त तर्कों के साथ प्रकरण के सही व न्यायपूर्ण निस्तारण के लिये प्रकरण के जॉच अधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर, ए.एस.आई. पुलिस थाना बांदीकुई, जिला–दौसा को बतौर कोर्ट विटनेस बुलाये जाने का निवेदन किया।

3. दूसरी ओर अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से मौखिक जबाव पेश करते हुए विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि एफआईआर में अंकित वाहन संख्या आरजे 14 पीई 4557 तथा चालान में प्रस्तुत वाहन संख्या आरजे 03 पीए 2286 परस्पर भिन्न है। इस महत्वपूर्ण विसंगति के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा चालान पत्रावली में कोई स्पष्ट, ठोस या स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह सिद्ध

Scanned with OKEN Scanner

हो सके कि एफआईआर में अंकित वाहन दुर्घटना में सम्मिलित नहीं था। ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी की उपस्थिति न्यायालय के लिए आवश्यक प्रतीत होती है, ताकि वाहन के परिवर्तन के आधार, जांच अधिकारी की कार्यप्रणाली तथा उपलब्ध साक्ष्यों का न्यायालयीय मूल्यांकन स्पष्ट रूप से किया जा सके। न्यायालय का यह मत है कि न्यायोचित व सही निस्तारण के लिए जांच अधिकारी का कथन आवश्यक है। अतः आवेदन में पर्याप्त एवं औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि जांच अधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर, ए.एस.आई. थाना सिकन्दरा, जिला दौसा को आगामी नियत तिथि पर उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किया जाए। पत्रावली साक्ष्य अप्रार्थी हेतु दिनांक 28/11/25 निर्धारित किया जाता है।

(अनामिका सारण)
न्यायाधीश
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सिकराय, जिला–दौसा

Scanned with OKEN Scanner